इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :81 / प्र0अ0(त0स0–2) / जोन–5 / ग्रु0हा0 / 2016–17 दिनांक27 / 05 / 2017

01

अनुमति–पत्र (Revise)

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर **समूह आवास (Revise) मानचित्र** स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

रूद्रा नव निर्माण प्रा0लि0 द्वारा आराजी संख्या–158, 159, 160 (पार्ट) एवं 162 (पार्ट) ग्राम–नसीरापुर, परगना–झूँसी, तहसील–फूलपुर, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (5) के अर्न्तगत दाखिल समूह आवास (Revise) मानचित्र उपाध्यक्ष, इ0वि0प्रा0 के स्वीकृति आदेश दिनांक 15–05–2017 **के कम में** निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट / इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 75 अदद वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक / विकासकर्ता का होगा।
5. पूर्व स्वीकृत समूह आवास मानचित्र परमिट संख्या–86 / प्र0अ0(त0स0–2) / जोन–5 / ग्रु0हा0 / 2014 दिनांक 13.01.2015 में 352 आवासीय इकाई एवं 8 सुविधा–जनक शॉप्स (331+शेल्टर फीस जमा करने के सापेक्ष देय 21 अतिरिक्त इकाई = 352 इकाई) के निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी थी। Revise समूह आवास मानचित्र 432 आवासीय इकाईयो एवं सामुदायिक केन्द्र, सुविधा जनक दुकानो के निर्माण की अनुमति हेतु है।
6. स्थल पर 15% भू–भाग को ग्रीन एरिया (2142.34 वर्गमीटर) के रूप में विकसित करना होगा।
7. स्थल पर सोलर वाटर हीटींग संयत्र की स्थापना अनिवार्य रूप से की जायेगी।
8. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।
9. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 की समस्त प्रभावी नियम एवं शर्ते मान्य होगी।
10. निर्माण मे प्रयुक्त सामग्री एवं उत्सर्जित मलवा अपने परिसर मे ही रखना होगा, इस हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक 03.01.2015 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
11. शेष नियम एवं शर्ते पूर्व स्वीकृत मानचित्र परमिट संख्या–86 / प्र0अ0(त0स0–2) / जोन–5 / ग्रु0हा0 / 2014 दिनांक 13 जनवरी, 2015 के अनुरूप पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।

27/05/2017

(पुष्कर श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी